न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—36/2022 (2022/129) वाद पत्र

उनवान

1—कुशालचन्द पिता पेमा रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—दयाराम पिता भुरा रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—प्यारीदेवी पत्नि भुरा रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—विष्णुलाल पिता रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भुरीदेवी पत्नि रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—भगवतीदेवी पुत्री रतनलाल पत्नि मदनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा हाल निवासी रेगर मोहल्ला किशोर नगर, राजनगर जिला राजसंमद
4—मुन्नीदेवी पुत्री रतनलाल पत्नि गोपीलाल रेगर निवासी मोखुन्दा हाल निवासी धायला वाया केलवा तहसील व जिला राजसंमद
5—रोशनीदेवी पुत्री रतनलाल पत्नि कृष्णकान्त रेगर निवासी मोखुन्दा हाल निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़
6—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरीश चन्द्र टेलर— वादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—12.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के मूल पुरूष जोधाजी थें। जिसके तीन लड़के रोडा, पेमा, पोखर हुए। रोड़ा के 2 पुत्र भुरा व पन्ना हुए जिसमें से पन्ना आलौलाद फोत होने पर भुरा एक मात्र वारीस है तथा भुरा के वापस 1 पुत्र दयाराम व पत्नि प्यारीदेवी वारीस है, तथा पेमा के कुशालचन्द्र व रतनलाल हुए, जिसमें से रतनलाल, पोखर के कोई पुरुष संतान नहीं होने से उनके गोद चला गया। और पोखर की पत्नि झमकु ओर वारीस थी। झमकु भी फौत हो चुकी है और पोखर के गोद पुत्र रतनलाल भी फ़ोत हो गया जिसके एक पुत्र विष्णुलाल तीन पुत्रिया मुन्नीदेवी, भगवतीदेवी, रोशनदेवी व पत्नि भुरीदेवी जीवित होकर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 है। राजस्व ग्राम मोखुन्दा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा की बैरून हल्का आबादी में इस हिन्दु संयुक्त परिवार की साबिक कृषि आराजी संख्या 1084 रकबा 18 बिस्वा भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित होकर तीनों भाई रोडा, पेमा, पोखर पिता जोधा रेगर सा देह के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। प्रमाण में नकल साबिक जमाबंदी संवत 2024 से 2027 व 2028 से 2031 व 2039 से 2042 साथ प्रस्तुत हैं। इसी साबिक आराजियात में जोधा के समय का एक पुश्तैनी कुआं खुदा हुआ था। जिससे उक्त सभी सामलाती व पुश्तैनी भूमियों की पिलाई व सिंचाई होती थी तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2022 से 2031 व 2032 से 2035 व 2048 से 2051 में भी इसी आराजी में 2 बिस्वा भूमि में गेमु आचा स्थित होने का स्पष्ट अंकित है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां भी साथ प्रस्तुत हैं। किन्तु राजस्व रेकार्ड में उक्त गेमु आचा, कुऐं को रोटेशन की जमाबन्दियों में दर्ज नहीं होने से व इस मुल रकबे 18 बिस्वा में से रकबा नहीं टुटा और साबिक आराजी संख्या 1084 मुल रकबे 18 बिस्वा से ही दर्ज चलता रहा।

संवत् 2048 से 2051 की जमाबंदी में रोड़ा फौत हो जाने से भूमियों भुरा पन्ना पिता रोडा 1/3 पेमा पोखर पिता जोधा 2/3 रेगर सा देह के नाम पर दर्ज हुई। उसमें पोखर फौत हो जाने से उसके बजाय भूमिया झमकु बेवा पोखर के नाम पर दर्ज हुई और पेमा फोत होने से भूमिया वादी कुशालचन्द्र व उसके भाई रतनलाल के नाम पर दर्ज हुई। रतनलाल पोखर के गोद चले जाने से फिर सभी सहखातेदारान के मध्य विभाजन हुआ, उसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सामलाती कुआ साबिक आराजी संख्या 1084 रकबा 18 बिस्वा भूमि में स्थित था। इस आराजी को तन्हा रूप से झमकु बेवा पोखर व रतनलाल पिता पेमा के नाम संयुक्त रूप से दर्ज कर दिया जो गलत हैं। वक्त विभाजन राजस्व कर्मचारियों ने इस आराजी में स्थित कुआं के 2 बिस्वा रकबे को संयुक्त रूप से हिस्से से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज करना चाहिए था, तथा शेष रकवा विभाजन में उनको देना चाहिए था, किन्तु उक्त सम्पूर्ण रकबे को झमकु व रतनलाल के नाम दर्ज कर देने से झमकु व रतनलाल फौत होने से विरासतन प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हो गया, किन्तु मौके पर उक्त वर्णित सजरे अनुसार वादी संख्या 01 कुशालचन्द 1/3 हिस्से से तथा वादी संख्या 02 व 03 संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से से उक्त भूमि में स्थित कुआ का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे और उक्त कुएं पर काबिज हैं। जिससे उक्त साबिक आराजी संख्या 1084 रकबा 18 बिस्वा में से 2 बिस्वा भूमि गेमु आचा के वादीगण उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य हैं। तहसील क्षेत्र रायपुर का नवीन भू—प्रबन्ध हुआ, जिसमे राजस्व ग्राम मोखुन्दा का भी नवीन भु—प्रबन्ध हुआ जिसमें उक्त वर्णित साबिक आराजी संख्या 1084 रकबा 18 बिस्वा भूमि के नवीन नम्बर 1386 रकबा 0.02 है0 चाह व आराजी संख्य 1387 रकबा 0.17 हैक्ट भूमि कायम किये गये किन्तु गैर कानुनी तरीके से उक्त पुश्तैनी कुएं की नवीन आराजी संख्या 1386 रकबा 0.02 हेक्ट भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर गलत रूप से दर्ज कर दिया जबकि उक्त कुंआ पैतृक एवं पुश्तैनी होने से वादीगण का भी हक एवं हिस्सा निहित हैं। जिससे कुंआ की नवीन आराजी संख्या 1386 रकबा 0.02 हैक्ट गेमु चाह में वादीगण संख्या 01 कुशालचन्द का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 02 लगायत 03 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/6—1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/15—1/15 हिस्सा घोषित करवाया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। उक्त वर्णित कुआं के संबंध में प्रतिवादीगण के पूर्वज रतनलाल पिता पेमा व प्रतिवादी विष्णुलाल ने भी हम वादीगण को अलग—अलग हिस्सा होने संबंध लिखा पढ़ी यादादस्ती निष्पादित कर हम वादीगण को दे रखी है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि राजस्व ग्राम मोखुन्दा में स्थित नवीन आराजी संख्या 1386 रकबा 0.02 है0 गै.मु.चाह के वादीगण संख्या 1 कुशालचन्द का 1/3 हिस्से का व वादीगण संख्या 2 दयाराम 1/6 हिस्से का व वादीगण संख्या 3 प्यारीदेवी 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक 1/15—1/15 हिस्से के खातेदार काश्तकार होकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त कुआं की भूमि में वादीगण के निहित हिस्से से वादीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल न तो स्वयं न किसी अन्य से करावे, तथा वादग्रस्त भूमि को किसी अन्य को अन्तरित नहीं करे, तथा वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवे। वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही हाने से एक तरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 6 फौरमल पक्षकार जिनसे कोई दाद नही चाही गई है।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद के समर्थन में दयाराम पिता भुरा के बयान कराये गये तथा आवश्यक रेकार्ड को प्रदर्शित कराया गया जिसमें जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 खाता संख्या 492 जो प्रदर्श है, जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 जो प्रदर्श 2 है, मिलान क्षैत्रफल आराजी संख्या 1386 का जो प्रदर्श 3 है, आपसी लिखापढ़ी दिनांक 25.01.2002 वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य की गइ जो प्रदर्श 3ए है, जमाबन्दी रोटेशन संवत 2052 से 2057 की खाता संख्या 152 की प्रति पेश की जो प्रदर्श 4 है, विष्णु पिता रतनलाल के द्वारा भी दिनांक 02.05.2018 को लिखापढ़ी की गई जो प्रदर्श 4ए है, जमाबन्दी 2024 से 2027 जो रोड़ा पेमा पोखर पिता जोधा रेगर के नाम खाता संख्या 306 में दर्ज है जो प्रदर्श 5 है, जमाबन्दी 2028 से 2031 जो भी रोड़ा पेमा पोखर पिता जोधा रेगर के नाम खाता संख्या 297 पर दर्ज है जो प्रदर्श 6 है। जमाबन्दी सवंत 2039 से 2042 खाता संख्या 398 पर भी तीनो भाईयो के नाम भूमि दर्ज है जो प्रदर्श 7 है, जमाबन्दी संवत 2048 से 2051 खाता संख्या 297 जो भुरा पन्ना पिता रोड़ा 1/3, पेमा, पोखर पिता जोधा 2/3 हिस्से से दर्ज है जिसमें विभाजन का इन्द्राज किया गया है जो प्रदर्श 8 है, खसरा गिरदावरी 2028 से 2031 पेश की गई जिसमें आराजी संख्या 1084 रकबा 18 बिस्वा में से 2 बिस्वा में चाह पक्का जारी 2 लावा गहरा 20 हाथ का इन्द्राज शुदा प्रस्तुत किये जो प्रदर्श 9 है। इसी तरह खसरा गिरदावरी 2032 से 2035 के आराजी संख्या 1084 की रकबा 18 बिस्वा की प्रस्तुत की जो प्रदर्श 10 है। खसरा गिरदावरी 2052 से 2055 आराजी संख्या 1084 की प्रस्तुत की जो प्रदर्श 11 है। खसरा गिरदावरी संवत 2048 से 2051 आराजी संख्या 1084 की प्रस्तुत की जो प्रदर्श 12 है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र गवाह के रूप में श्री दीपा पिता अमरा रेगर आयु 83 वर्ष निवासी मोखुन्दा के बयान कराये गये जिसमें बयानकर्ता के द्वारा ग्राम मोखुन्दा में रोड़ा पेमा पोखर पिता जोधा के द्वारा तीनो भाईयो ने मिलकर कुआं खोदना बताया उक्त कुएं पर मैने कुझ समय मजदुरी की थी जिसका भुगतान तीनो भाईयो ने मिलकर किया था।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य कथन किया कि वादीगणो के द्वारा वादवर्णित भूमि वादीगणो के मूल पुरूष जोधा पिता गंगारामजी के समय की है। और जिसमें एक कुआं जोधाजी के वारीस वादीगणो के पूर्वजो के द्वारा संयुक्त रूप से खोदा गया था जिसका उपयोग तीनो ही परिवार संयुक्त रूप से करते आ रहे थे किन्तु उक्त कुएं का राजस्व रेकार्ड में अलग से नम्बर कायम नही होकर साबिक आराजी संख्या 1084 रकबा 18 बिस्वा ही दर्ज रेकार्ड था। सभी खातेदारो के द्वारा भूमि का विभाजन कराने पर उक्त खसरा नम्बर में स्थित चाह को छोड़कर शेष भूमि प्रतिवादीगणो के हिस्से में आने से पुरा सम्पूर्ण नम्बर प्रतिवादीगणो के पूर्वजो के नाम पर दर्ज हो गया जबकि चाह संयुक्त रूप से आज भी उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त चाह प्रतिवादीगणो के नाम दर्ज हो जाने की जानकारी मिलने पर संयुक्त खातेदारो ने आपस में बैठकर लिखापढ़ी की गई थी किन्तु उसके बाद भी चाह नाम पर नही कराकर टालमटोल करते रहे है। चाह वादीगणो का संयुक्त है जिससे वादीगणो का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि वादवर्णित भूमि वादीगण के पूर्वजो की होकर पैतृक और पुश्तैनी जमीन होना रेकार्ड से प्रमाणित है। साबिक रेकार्ड में वादवर्णित भूमि वादीगण के पूर्वजो के नाम की होकर उनके द्वारा संयुक्त रूप से कुआं खोदा गया है जिसको वादीगण के द्वारा राजस्व रेकार्ड और स्वतंत्र गवाह से प्रमाणित कराया है। मुख्य रूप से पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श 1 से 8 व 9, 10 जिसमें आराजी संख्या 1084 रकबा 18 बिस्वा भूमि रोड़ा, पेमा, पोखर पिता जोधा रेगर के नाम दर्ज रेकार्ड है। खसरा गिरदावरी संवत 2028 से 2031 के कॉलम 17 में चाह दर्ज है इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उक्त चाह संयुक्त रूप से रोड़ा पेमा पिता पोखर रेगर की खातेदारी का है। प्रदर्श 8 जमाबन्दी संवत 2048 से 2051 के दौरान संयुक्त खातेदारो के मध्य विभाजन हुआ उस दौरान आराजी संख्या 1084 रकबा 18 बिस्वा झमकु बेवा पोखर एवं रतनलाल पिता पेमा के हिस्से में मानते हुए सम्पूर्ण रकबे को प्रतिवादीगणो के नाम दर्ज कर दिया गया जिसमें उक्त त्रुटी राजस्व विभाग की भी रही है। चूंकि संवत 2028—29 में खातेदारान के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में नया चाह खोदा गया था जिसका नवीन खसरा नम्बर दे दिया जाता तो उक्त त्रुटी नही होती जबकि नियमानुसार भू अभिलेख नियमावली 1957 के अनुसार चाह का बटा नम्बर दर्ज किया जाना था।

उक्त प्रकरण में सस्वतंत्र गवाह के द्वारा अपने बयान में कहा कि वादवर्णित चाह रोड़ा, पेमा, पोखर पिता जोधा रेगर के द्वारा संयुक्त रूप से खुदवाया गया है जिसमें मेरे द्वारा मजदुरी की गई उसका भुगतान तीनो भाईयो के द्वारा किया गया। उक्त बयान व रेकार्ड से यह प्रमाणित होता है कि वादवर्णित चाह वादी एवं प्रतिवादीगणो के संयुक्त खातेदारी का है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार मै इस निष्कर्ष पर पहॅचा कि वादीगण के द्वारा वाद को पूर्ण रूप से प्रमाणित करवाया है जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोखुन्दा पटवार हल्का मोखुन्दा की नवीन आराजी संख्या 1386 रकबा 0.02 है0गे.मु.आचा मे वादी संख्या 1 का 1 / 3 हिस्सा वादी संख्या 2 से 3 का संयुक्त रूप से 1 / 3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का संयुक्त रूप से 1 / 3 (जिसमें प्रत्येक का 1 / 15—1 / 15 हिस्सा) हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 इस आशय स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त कुआं की भूमि में वादीगण के निहित हिस्से से वादीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल न तो स्वयं न किसी अन्य से करावे, तथा वादग्रस्त भूमि को किसी अन्य को अन्तरित नहीं करे, तथा वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवे। वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

12/07/2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—36 / 2022 (2022 / 129) वाद पत्र

उनवान

1—कुशालचन्द पिता पेमा रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—दयाराम पिता भुरा रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—प्यारीदेवी पत्नि भुरा रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—विष्णुलाल पिता रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भुरीदेवी पत्नि रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—भगवतीदेवी पुत्री रतनलाल पत्नि मदनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा हाल निवासी रेगर मोहल्ला किशोर नगर, राजनगर जिला राजसमंद
4—मुन्नीदेवी पुत्री रतनलाल पत्नि गोपीलाल रेगर निवासी मोखुन्दा हाल निवासी धायला वाया केलवा तहसील व जिला राजसमंद
5—रोशनीदेवी पुत्री रतनलाल पत्नि कृष्णकान्त रेगर निवासी मोखुन्दा हाल निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़
6—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोखुन्दा पटवार हल्का मोखुन्दा की नवीन आराजी संख्या 1386 रकबा 0.02 है0गे.मु.आचा मे वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 से 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का संयुक्त रूप से 1/3 (जिसमें प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा) हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 इस आशय स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त कुआं की भूमि में वादीगण के निहित हिस्से से वादीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल न तो स्वयं न किसी अन्य से करावे, तथा वादग्रस्त भूमि को किसी अन्य को अन्तरित नहीं करे, तथा वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवे। वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 12.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

12/07/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा